

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह CUSTOM HOUSE, कोचिन COCHIN - 9

व्यापार सुविधा TRADE FACILITY NO. 1 /2009

विषय : लकड़ी के उत्पादों का आयात/ निर्यात- सम्बन्धित.

Sub:-Import/Export of wood products-Regarding

* * * * *

आयातक, निर्यातक, सीमाशुल्क गृह एजेंट, स्टीमर एजेंट, नौवहन एजेंट/ स्टीमर लाईन यह सुनिश्चित करें कि लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पादों के आयातक/ निर्यातक, आयात/निर्यात दस्तावेजों में लकड़ी के विभिन्न प्रजातियों के नाम और उनके वनस्पतिक (बोटानिकल) और व्यापारिक नाम सहित उचित विवरण दें ताकि भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 44 के अन्तर्गत आने वाले लकड़ी के सम्बन्ध में आयात/ निर्यात आंकड़े का उचित संकलन किया जा सके.

Importers/ Exporters/ Custom House Agents, Steamer Agents, Shipping Agents/ Steamer Lines, are required to ensure that importer /exporter of wood and wood products declare proper description giving the name of the species including botanical and trade names in the import/export documents to facilitate tabulation of more specific import/export data in respect of the timber covered under chapter 44 of the Customs Tariff of India.

Sd/-


(बी.सैयद मोहम्मद/B.SYED MOHAMMED)

आयुक्त COMMISSIONER

F.No.C1/01/2009-Cus.TU

दिनांक Dated 12.01.2009

//अनुप्रमाणित ATTESTED //



(के.ए.जतीन/KA.JATHIN)

मूल्य निरूपक (टैरिफ यूनिट)

APPRAISER (TARIFF UNIT)

डाक सूची के अनुसार सभी सम्बन्धितों को जारी.

All Concerned, as per mailing List

प्रतिलिपि Copy to :

- 1 मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, केरल क्षेत्र.
The Chief Commissioner's Office, Kerala Zone.
- 2 आयुक्त की फाईल/ संयुक्त आयुक्त/ सभी उप/ सहायक आयुक्त/ विकास आयुक्त (सी.एस.ई.जेड)/
सभी मूल्य निरूपक/ सभी अनुभाग/ गार्ड फाईल.
Commissioner's File/ Jt. Commissioner /All Deputy/ Asst. Commissioners/
Development Commissioner (CSEZ)/ All Appraisers/ All Sections/ Guard File.
- 3 नोटिस बोर्ड. Notice Board.